[2022] 18 एस. सी. आर. 427

क.

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम।

क्षेत्रीय प्रबंधक, यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम

(सिविल अपील सं. 2022 का 9070-9071) 09 दिसंबर, 2022

[कृष्णा मुरारी और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन-दुर्घटना-दावा-मुआवजे का आकलन-स्थायी अक्षमता प्रतिशत-अपीलकर्ता एक बस में यात्रा कर रहा था जिसे प्रतिवादी द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया था-बस दुर्घटना का शिकार हो गई और अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं-एम. ए. सी. टी. (न्यायाधिकरण) ने यह मानते हुए कि यह लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण बना, 15,76,465 का मुआवजा दिया-उच्च न्यायालय ने मुआवजे को संशोधित और बढ़ाकर 16,70,932 कर दिया-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 35 प्रतिशत के रूप में किया-अपील पर कहा गयाःअक्षमता प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी को 70 प्रतिशत अक्षमता का सामना करना पड़ा-अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता उसकी कमाई क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी-उच्च न्यायालय द्वारा गणना की गई 35 प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में गलत है और अपीलार्थी की भविष्य की कमाई क्षमता के नुकसान की गणना 60 प्रतिशत पर की जानी चाहिए-यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर दुर्घटना के कारण स्थायी अक्षमता के मामलों में, दावेदार न केवल भविष्य में आय के नुकसान का हकदार है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी हकदार है-दुर्घटना के कारण होने वाली स्थायी अक्षमता की प्रकृति और अपीलार्थी के जीवन पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, गैर-आर्थिक प्रमुखों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है-स्थायी अक्षमता के मामले में।

ग

डी.

ई.

च

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.** इसमें अपीलार्थी को **70** प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है और अन्य चोटों के बीच उसका दाहिना निचला अंग काट दिया गया है।उच्च न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि अपीलार्थी को केवल **35** प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा है।अपीलार्थी वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है बल्कि स्व**-**नियोजित है जो

एच.

अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है।अपीलार्थी को अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होने के लिए**,** उसे निश्चित रूप से इधर**-**उधर घूमना पड़ता है।अपीलार्थी अपने दम पर गाड़ी भी नहीं चला सकता है**,** जिससे उसकी गतिशीलता में और बाधा आती है।यह साबित करता है कि अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता उसकी अर्जित करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी**,** और

उच्च न्यायालय द्वारा गणना की गई **35** प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में गलत है और इस न्यायालय के विचार में भविष्य में अर्जित करने की क्षमता के नुकसान की गणना **60** प्रतिशत की जानी चाहिए।**[**पैरा **16] [436-**ई**-**एफ**]**

भविष्य की संभावनाएँ

2. यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर दुर्घटना के कारण स्थायी अक्षमता के मामलों में**,** दावेदार न केवल भविष्य में आय के नुकसान का हकदार है**,** बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी हकदार है।इस न्यायालय द्वारा कई उदाहरणों में यह दोहराया गया है कि **"**न्यायसंगत मुआवजे**"** की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि दावेदार को उसी स्थिति में रखा जाए जो वह दुर्घटना से पहले था।चोट का कारण बनने वाली दुर्घटना **12.06.2009** पर हुई।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों आयकर विवरणी की स्वीकृति से पता चलता है कि कर विवरणी **31.03.2008** और **31.03.2009** तक थी।आय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दोनों आयकर विवरणी दुर्घटना होने से पहले के थे**,** और इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अक्षमता के बाद अपीलार्थी की आय में वृद्धि हुई है**,** गलत है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्घटना के बाद भले ही अपीलार्थी की आय में वृद्धि हुई हो**,** लेकिन यह अपीलार्थी को भविष्य की संभावना के लिए मुआवजे का दावा करने से अक्षम करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा क्योंकि आय में वृद्धि कई अन्य कारकों के कारण हो सकती है।**[**पारस **18-20] [437-A-D]**

ग

डी.

ई.

च

प्रोस्थेटिक लेग की खरीद और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धा

3. कृत्रिम अंग और उसके रखरखाव के लिए दिए गए वर्तमान मुआवजे के अनुसार**,** यह अपीलार्थी को केवल **15** वर्षों तक चलेगा**,** भले ही हम यह मान लें कि कुछ वर्षों के बाद अंग को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।दुर्घटना के समय अपीलार्थी केवल **37** वर्ष का था और यह मान लेना उचित होगा कि वह **70** वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा**,** यदि उससे अधिक नहीं। हम ए के हैं

जी.

एच.

429

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम आर. एम., यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम।

राय है कि अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ताकि वह अपने जीवनकाल में तीन कृत्रिम अंग खरीद सके और कम से कम **70** वर्ष की आयु तक इसे बनाए रखने में सक्षम हो।केवल प्रोस्थेटिक अंगों के लिए**,** अपीलार्थी को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना है। **7,80,000** और उसके रखरखाव के लिए उसे अतिरिक्त रु**. 5,00,000-**।**[**पैरा **23] [438-**सी**-**ई**]**

गैर**-**आर्थिक प्रतिस्पर्धा

3. उच्च न्यायालय ने एलडी द्वारा दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा है। गैर**-**आर्थिक नुकसान के लिए न्यायाधिकरण**,** जो रु। **3,00,000-**कुल मिलाकर।दुर्घटना के कारण होने वाली स्थायी अक्षमता की प्रकृति और अपीलार्थी के जीवन पर इसके

प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय या गैर-आर्थिक प्रमुखों द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है।[पैरा **24] [438-ई-एफ]**

ग

निष्कर्ष

डी.

4. दावेदारों को स्थायी अक्षमता के मामलों में मुआवजा देते समय, अदालतों को मामले को समग्रता से देखना चाहिए, और दावेदारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए।इसमें अपीलकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है।यह लगभग सार्वभौमिक रूप से देखा गया है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों को अक्सर शारीरिक अक्षमताओं के कारण भेदभाव की एक अतिरिक्त परत का सामना करना पड़ता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों को पहले से ही सामाजिक पूंजी की कमी के कारण गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और एक नई विकलांगता अक्सर इस तरह के भेदभाव के लिए यौगिक नहीं होती है।ऐसी परिस्थितियों में, न्याय के सार को बनाए रखने के लिए, यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह कम से कम दावेदार को उस स्थिति में बहाल करे जिसमें वह विकलांगता की घटना से पहले था, और ऐसा करने के लिए उसे उदार तरीके से मुआवजा देना चाहिए।जबकि कोई भी भौतिक मुआवजा घायल और उसके परिवार के सामने आने वाले आघात और पीड़ा को पूरी तरह से नकार नहीं सकता है, कानून ऐसे मामलों में केवल मौद्रिक मुआवजे की भाषा जानता है।इसके बाद यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह मौद्रिक मुआवजे के प्रावधानों को एक मनगढ़ंत रचना में परिवर्तित करे जो घायल और उसके परिवार को उनके नुकसान से निपटने में मदद करता है।**[**पारस **27-29] [439-F-H; 440-A-B]**

ई.

च

जी.

एच.

क.

संदीप खानुजा बनाम अतुल दांडे और अन्र। **(2017) 3** एससीसी **351:2017 (2)** जे**.** टी**. 68;** राज कुमार बनाम अजय कुमार और

एन. आर. (2011) 1 एससीसी 343:[2010] 13 एस. सी. आर. 17; अनंत

सिद्धेश्वर डुकरे बनाम का पुत्र। प्रताप झम्नप्पा लमजाने और अन्र के पुत्र हैं। सिविल अपील सं. 8420

2018 – पर भरोसा किया।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

& अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680:[2017] 13 एससीआर 100;

आर**.** डी**.** हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण **(**भारत**) (**पी**)** लिमिटेड **(1995)**

1 एससीसी **551:[1995] 1** एस**.** सी**.** आर**. 75-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 17**

पर भरोसा किया

पैरा **15**

[2017] 13 एससीआर **100**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[1995] 1 एससीआर **75**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 9070-9071।

डी.

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2018 की समीक्षा याचिका No.391 और MAC में दिनांकित 11.09.2018 के निर्णय और आदेश से। ऐप. 2013 का सं. 444।

मनीष मैनी, सुश्री मंजीत चावला, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, निशित अग्रवाल, शादेब खान, सुश्री कनिष्क मित्तल, सुश्री दिव्या, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

च

अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपीलें 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 391 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) और नई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतिम निर्णय दिनांक (आईडी2) के खिलाफ निर्देशित की गई हैं।

जी.

3. संक्षेप में, इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैंः

I. अपीलार्थी, जो एक कबाड़ विक्रेता है, एक बस में यात्रा कर रहा था जिसमें नं. यूपी-25 टी-9664 अपने पैतृक स्थान नूरपुर, गजरोला से दिल्ली में अपने आवास की ओर।

एच.

431

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम आर. एम., यू. पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन। [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

क.

II. बस का चालक, जो यहाँ उत्तरदाता संख्या 1 है, जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।लगभग 12 बजेः30 सुबह, गाजियाबाद में जिंदल पाइप फैक्ट्री के पास, प्रतिवादी नं।1 चालक ने सड़क के बाईं ओर खड़ी एक टेंपो को टक्कर मार दी।

III. इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी और बस में सवार अन्य यात्रियों के पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आईं।दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 37 वर्ष थी और वह प्रति माह Rs.10,000/- कमा रहा था।अक्षमता प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी को 70 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा, अन्य चोटों के बीच उनका दाहिना निचला अंग।4. दुर्घटना के बाद अपीलार्थी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दिल्ली-II, द्वारका अदालत, नई दिल्ली के समक्ष एक दावा याचिका दायर की जिसमें Rs.20,00,000/- (बीस लाख) के मुआवजे का दावा किया गया।

ग

5. एल. डी. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद 'एम. ए. सी. टी.' के रूप में संदर्भित) ने साक्ष्य और मुद्दों की जांच करने के बाद कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 वाहन का चालक था, और यह उसका उतावलापन और लापरवाही से गाड़ी चलाना था जो दुर्घटना का कारण बना।एल. डी. एम. ए. सी. टी. ने प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ अपीलार्थी को Rs.15,76,465/- का मुआवजा प्रदान किया, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

डी.

ई.

च

जी.

एच.

6. इसके बाद अपीलार्थी ने एम. ए. सी. ऐप दाखिल किया। नं. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर कि एल. डी. एम. ए. सी. टी. ने अर्जित करने की क्षमता के नुकसान, भविष्य की संभावनाओं और अपीलार्थी की अक्षमता की गलत गणना की गणना नहीं की।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.09.2018 दिनांकित निर्णय के माध्यम से एल. डी. द्वारा पारित पुरस्कार को संशोधित किया। एम. ए. सी. टी. और प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे को बढ़ाकर 70,932/- करके अपील का निपटारा किया। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"... विवादित पुरस्कार और अभिलेख पर साक्ष्य की सुनवाई और अवलोकन करने पर, मैं पाता हूं कि दुर्घटना के समय में विसंगति के पहलू पर, घायल की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं होती है और इसलिए, बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने से मुक्त नहीं किया जा सकता है।यह कंडक्टर (आर 2 डब्ल्यू1) का मामला नहीं है कि घायल व्यक्ति बस में यात्रा नहीं कर रहा था।इसलिए, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए घायल (पीडब्लू-4) के साक्ष्य पर सही भरोसा किया है कि दुर्घटना के कारण बस चालक की लापरवाही थी।न्यायाधिकरण ने घायल की कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 30 प्रतिशत किया है।दाहिने निचले अंग के संबंध में स्थायी अक्षमता 70 प्रतिशत है।यह घुटने के नीचे दाहिने पैर के विच्छेदन का मामला है और इसलिए, कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 35 प्रतिशत किया जाता है।मात्रा के पहलू पर, मैं पाता हूँ कि हालांकि "भविष्य की कमाई का नुकसान" है, लेकिन घायल की "कमाई की क्षमता" से निश्चित रूप से समझौता किया गया है।मृतक की आय का आकलन न्यायाधिकरण द्वारा आई. टी. आर. एस. के आधार पर किया गया है, जो इस दुर्घटना के बाद दायर किया गया था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि घायल की आय वर्ष 2008-09 के लिए आई. टी. आर. एस. में परिलक्षित आय से कम थी।इस पहलू पर भी, घायल की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है।इसलिए, तत्काल मामले के तथ्यों में, न्यायाधिकरण ने घायल की आय को लेते हुए "कमाई क्षमता के नुकसान" का सही आकलन किया है जैसा कि आईटीआर में परिलक्षित होता है। न्यायाधिकरण ने 16 के गुणक को लागू करने में गलती की है।लागू गुणक 15 का है।जहाँ तक घायल की उम्र का संबंध है, इस पहलू पर घायल की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है।इसलिए, घायल की आयु 37 वर्ष मानी जाती है, जो 15 के गुणक को आकर्षित करेगी।आई. टी. आर. एस. से पता चलता है कि विकलांग होने के बावजूद उसकी आय में वृद्धि हुई थी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि "भविष्य की कमाई का नुकसान" है।..."

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

433

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम आर. एम., यू. पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन। [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

क.

8. इसके बाद, अपीलार्थी ने नई दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 391 दायर की जिसमें मुआवजे को बढ़ाकर 1,00,000/- करने की मांग की गई और अपील में पारित फैसले को बरकरार रखते हुए इसे दिनांक 2 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान दीवानी अपील दायर की है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर तर्क

9. एल. डी. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

I. उच्च न्यायालय ने विकलांग होने के कारण अपीलार्थी की आय का नुकसान केवल 35 प्रतिशत होने का गलत आकलन किया, जबकि चिकित्सा बोर्ड ने याचिकाकर्ता की स्थायी विकलांगता का 70 प्रतिशत होने का आकलन किया है।चोटों के परिणामस्वरूप अपीलार्थी अपना वाहन नहीं चला सकता है और भारी भार नहीं उठा सकता है।

ग

II. चूँकि अपीलार्थी की आय का आकलन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया गया था, इसलिए अपीलार्थी को 50 प्रतिशत तक भविष्य की संभावनाओं से सम्मानित किया जाना चाहिए था।

डी.

III. कृत्रिम पैर की मरम्मत, खरीद और रखरखाव के लिए दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है।यह प्रस्तुत किया गया था कि कृत्रिम अंग की कीमत रु. 2,60,000-है, और अंग का जीवनकाल 5-6 वर्ष है।अंग को हर 6 महीने के बाद मरम्मत की आवश्यकता होती है, और मरम्मत की लागत Rs.15,000/- से Rs.20,000/- के बीच होती है।अपीलार्थी की आयु केवल 37 वर्ष है और उसे अपने शेष जीवन के लिए अंग की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ होगा कि रुपये का वर्तमान मुआवजा अपर्याप्त है।

ई.

च

IV. अपीलार्थी को "दर्द और पीड़ा" और "अक्षमता और विरूपण के कारण नुकसान" शीर्षक के तहत दिया गया मुआवजा रु. 1,00,000-प्रत्येक अपर्याप्त है।द.

वकील ने सिद्धेश्वर डुकरे के पुत्र अनंत बनाम झम्नप्पा लमजाने और अन्न के पुत्र प्रताप पर भरोसा किया। 1.

जिम्मेदारों के स्वयं पर तर्क

जी.

10. इसके विपरीत, द एल. डी. प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया

कि -

1 2018 की सिविल अपील संख्या 8420 (दिनांकः 21 अगस्त, 2022)

एच.

434

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

I. उच्च न्यायालय ने कार्यात्मक अक्षमता को निचले अंग के विच्छेदन के लिए 35 प्रतिशत के रूप में लिया है।उच्च न्यायालय ने पहले ही भविष्य में आय के नुकसान को रुपये 6,09,345 से बढ़ाकर रुपये 6,66,480 कर दिया है और परिवहन के लिए राशि को Rs.10,000/- से बढ़ाकर Rs.50,000/- कर दिया है।

II. उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं को उचित रूप से मंजूरी नहीं दी है क्योंकि अपीलार्थी की आयकर विवरणी में रुपये से होने वाली अक्षमता के बावजूद वृद्धि हुई है। 1,26,947-01.04.2007 से 31.03.2008 से रु. 1,67,147-01.04.2008 से 31.03.2009 तक।

ग

III. अपीलार्थी एक कबाड़ विक्रेता है और अपनी दुकान से काम करता है।उसे अपने काम को करने के लिए बहुत अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उसकी अक्षमता उसकी कमाई की क्षमता को प्रभावित नहीं करती है।

IV. अपीलार्थी ने पहले ही उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की थी और उसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया था।

डी.

विश्लेषण

11. हमने अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को बहुत विस्तार से सुना है।

ई.

12. उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि विचाराधीन दुर्घटना हुई थी, अपीलार्थी को प्रतिवादी नंबर 1 चालक की लापरवाही के कारण नुकसान हुआ था और बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने से मुक्त नहीं किया जा सकता है। एकमात्र सवाल जो हमें तय करना है, वह है दिए गए नुकसान की मात्रा के पहलू पर।

च

कार्यात्मक अक्षमता के कारण आय का नुकसान

13. अपीलार्थी को निचले दाहिने अंग का विच्छेदन, द्विपक्षीय कक्षा की मध्य दीवार में फ्रैक्चर, दाहिने पैर में चोट, टिबिया के दाहिने पैर में फ्रैक्चर, उजागर जहाजों और अन्य चोटों का सामना करना पड़ा है।अक्षमता प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी को 70 प्रतिशत अक्षमता का सामना करना पड़ा है, हालांकि उच्च न्यायालय ने माना है कि अक्षमता के कारण अपीलार्थी को भविष्य की कमाई में केवल 35 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

जी.

14. दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा का आकलन करने के लिए, इस न्यायालय को यह आकलन करना होगा कि क्या स्थायी अक्षमता के कारण अपीलार्थी की अर्जित करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इस ए द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

एच.

435

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम आर. एम., यू. पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन। [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

संदीप खानुजा बनाम अतुल दांडे और अन्न के मामले में अदालत। **2.द.**

फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ इस प्रकार जिस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह यह आकलन करना है कि क्या स्थायी विकलांगता का घायलों की कमाई क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।हम महसूस करते हैं कि उपरोक्त परीक्षण के अनुप्रयोग पर एम. ए. सी. टी. का निष्कर्ष गलत है।एम. ए. सी. टी. द्वारा यह दृष्टिकोण रखते हुए एक बहुत ही अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित 70 प्रतिशत स्थायी अक्षमता अपीलार्थी की कमाई क्षमता को प्रभावित नहीं करेगी।एम. ए. सी. टी. ने सोचा कि चूंकि अपीलार्थी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है, इसलिए उसे बैठने का काम करना चाहिए और इसलिए उसकी कार्य क्षमता impaired.A व्यक्ति नहीं है जो व्यस्त है और अपने कर्तव्यों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता है, वह कमाई की तुलना उस व्यक्ति से नहीं कर सकता है जो स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम है।अपीलार्थी की गतिविधियों को काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया है और वह भी कम उम्र में।"

ग

डी.

15. इस अदालत ने राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्न के मामले में भी फैसला सुनाया है। 3 कि जहां दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहां भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का आकलन उसकी कमाई क्षमता पर स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"जहाँ दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है, वहाँ भविष्य की कमाई के नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का आकलन, उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा।न्यायाधिकरण को स्वचालित रूप से स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक नुकसान या कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में लागू नहीं करना चाहिए।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाले आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा।कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मानते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप

च

जी.

2 (2017) 3 एससीसी 351 3 (2011) 1 एससीसी 343

एच.

आय क्षमता के अनुरूप हानि, और परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य 45 प्रतिशत को स्थायी अक्षमता के रूप में दर्शाता है, तो यह माना जाएगा कि भविष्य में आय क्षमता का 45 प्रतिशत नुकसान होगा।अधिकांश मामलों में, स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत) तक कमाई क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) को बराबर करने के परिणामस्वरूप या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।न्यायाधिकरण द्वारा घायल की कमाई क्षमता पर स्थायी रूप से अक्षमता के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, भविष्य में आय के नुकसान (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके) पर पहुंचने के लिए इसे धन के संदर्भ में मापा जाना चाहिए।तथापि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन के मूल्यांकन पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप अर्जित करने की क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के लगभग बराबर है, जिस मामले में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा।"

ग

डी.

16. इसमें अपीलार्थी को 70 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है और अन्य चोटों के बीच उसका दाहिना निचला अंग काट दिया गया है।उच्च न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है कि अपीलार्थी को केवल 35 प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा है।अपीलार्थी वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्व-नियोजित है जो अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है।अपीलार्थी को अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होने के लिए, उसे निश्चित रूप से इधर-उधर घूमना पड़ता है।अपीलार्थी अपने दम पर गाड़ी भी नहीं चला सकता है, जिससे उसकी गतिशीलता में और बाधा आती है।यह साबित करता है कि अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता उसकी अर्जित करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, और उच्च न्यायालय द्वारा गणना की गई 35 प्रतिशत कार्यात्मक अक्षमता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में गलत है और हमारे विचार में भविष्य में अर्जित करने की क्षमता के नुकसान की गणना 60 प्रतिशत की जानी चाहिए।

ई.

च

भविष्य की संभावनाएँ

जी.

17. उच्च न्यायालय ने दिए गए मुआवजे में भविष्य की संभावना के लिए मात्रा लागू नहीं की है।अपने तर्क में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थी द्वारा जिन आयकर विवरणों पर भरोसा किया गया है, वे दर्शाते हैं कि चोट के बावजूद अपीलार्थी की आय में बाद में वृद्धि हुई थी और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य की आय का नुकसान हुआ है।

एच.

437

एम. एच. डी. सेबर @शबीर हुसैन बनाम आर. एम., यू. पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन। [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

क.

18. यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर दुर्घटना के कारण स्थायी अक्षमता के मामलों में, दावेदार न केवल भविष्य में आय के नुकसान का हकदार है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी हकदार है।इस न्यायालय द्वारा कई उदाहरणों में यह दोहराया गया है कि "न्यायसंगत मुआवजे" की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि दावेदार को उसी स्थिति में रखा जाए जो वह दुर्घटना से पहले था।

19. चोट का कारण बनने वाली दुर्घटना 12.06.2009 पर हुई।अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों आयकर विवरणी की स्वीकृति से पता चलता है कि कर विवरणी 31.03.2008 और 31.03.2009 तक थी।आय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दोनों आयकर विवरणी दुर्घटना होने से पहले के थे, और इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अक्षमता के बाद अपीलार्थी की आय में वृद्धि हुई है, गलत है।20. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्घटना के बाद भले ही अपीलार्थी की आय में वृद्धि हुई हो, लेकिन यह अपीलार्थी को भविष्य की संभावना के लिए मुआवजे का दावा करने से अक्षम करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा क्योंकि आय में वृद्धि कई अन्य कारकों के कारण हो सकती है।

ग

डी.

21. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय के आलोक में

सेठी और अन्य **4,** भविष्य की संभावनाओं का लागू **40** प्रतिशत जोड़ अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

प्रोस्थेटिक लेग की खरीद और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धा

ई.

22. उच्च न्यायालय ने कृत्रिम अंग के लिए रु. 5,20,000 और उसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए रु. Rs.50,000/- का मुआवजा देने का आदेश दिया है।अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि कृत्रिम अंग की लागत स्वयं रु। 2,60,000-और कृत्रिम अंग का जीवन केवल 5 से 6 वर्ष है।कृत्रिम अंग को हर 6 महीने से 1 साल के बाद मरम्मत और रखरखाव की भी आवश्यकता होती है, और प्रत्येक मरम्मत की लागत Rs.15,000 से Rs.20,000/- के बीच होती है।इसका मतलब यह होगा कि वर्तमान मुआवजे के तहत प्रोस्थेटिक अंग केवल 15 वर्षों तक चलेगा।दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 37 वर्ष थी और आगे उसका पूरा जीवन है।अनंत के मामले में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है।

च

जी.

सिद्धेश्वर डुकरे (सुप्रा) के पुत्र ने कहा कि मेले का उद्देश्य

क्षतिपूर्ति घायल को उस स्थिति में बहाल करने के लिए है जिसमें वह दुर्घटना से पहले था।फैसले का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ निकाला जा रहा हैः

4 (2017) 16 एससीसी 680

एच.

438 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

" मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में चोटों और अक्षमताओं के कारण, यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को न केवल उसकी शारीरिक चोट के लिए, बल्कि गैर-आर्थिक नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए जो उसे चोट के कारण हुआ है।दावेदार पूर्ण जीवन जीने और उन चीजों और सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है जिनका वह आनंद लेता, लेकिन चोटों के लिए।"

" मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का उद्देश्य पीड़ित को दुर्घटना से पहले की स्थिति में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से बहाल करना है।"

23. कृत्रिम अंग और उसके रखरखाव के लिए दिए गए वर्तमान मुआवजे के अनुसार, यह अपीलार्थी को केवल 15 वर्षों तक चलेगा, भले ही हम यह मान लें कि कुछ वर्षों के बाद अंग को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।दुर्घटना के समय अपीलार्थी केवल 37 वर्ष का था और यह मान लेना उचित होगा कि वह 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, यदि उससे अधिक नहीं। हमारी राय है कि अपीलार्थी को मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने जीवनकाल में तीन कृत्रिम अंग खरीद सके और कम से कम 70 वर्ष की आयु तक इसे बनाए रख सके।केवल प्रोस्थेटिक अंगों के लिए, अपीलार्थी को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना है। 7,80,000 और उसके रखरखाव के लिए उसे अतिरिक्त रु. 5,00,000-।

ग

डी.

ई.

गैर-आर्थिक प्रतिस्पर्धा

24. उच्च न्यायालय ने एलडी द्वारा दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा है। गैर-आर्थिक नुकसान के लिए न्यायाधिकरण, जो रु। 3,00,000-कुल मिलाकर।दुर्घटना के कारण होने वाली स्थायी अक्षमता की प्रकृति और अपीलार्थी के जीवन पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि गैर-आर्थिक प्रमुखों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है।

च

25. आर**.** डी**.** हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण **(**भारत**) (**पी**)** लिमिटेड। **5** सौदेबाजी

चोट के मामलों में मुआवजे के विभिन्न शीर्षों के साथ इस न्यायालय ने निर्णय दिया किः

जी.

"मोटे तौर पर दुर्घटना के पीड़ित को देय मुआवजे की राशि तय करते समय, नुकसान का आकलन अलग से आर्थिक नुकसान और विशेष नुकसान के रूप में किया जाना चाहिए।

5 (1995) 1 एससीसी 551 ए

एच.

नुकसान होता है।आर्थिक क्षति वे हैं जो पीड़ित ने वास्तव में किए हैं और जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम हैं; जबकि गैर-आर्थिक क्षति वे हैं जो अंकगणितीय गणना द्वारा मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं।दो अवधारणाओं की सराहना करने के लिए आर्थिक नुकसान में दावेदार द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैंः(i) चिकित्सा उपस्थिति; (ii) परीक्षण की तारीख तक लाभ की कमाई का नुकसान; (iii) अन्य भौतिक नुकसान।जहाँ तक गैर-आर्थिक नुकसानों का संबंध है, उनमें शामिल हो सकते हैंः(i) मानसिक और शारीरिक सदमे, दर्द और पीड़ा के लिए नुकसान, जो पहले से ही पीड़ित हैं या भविष्य में पीड़ित होने की संभावना है; (ii) जीवन की सुविधाओं के नुकसान की भरपाई के लिए नुकसान जिसमें विभिन्न मामले शामिल हो सकते हैं अर्थात। चोट के कारण दावेदार चलने, भागने या बैठने में सक्षम नहीं हो सकता है; (iii) जीवन की उम्मीद की हानि के लिए नुकसान अर्थात। चोट के कारण संबंधित व्यक्ति की सामान्य दीर्घायु कम हो जाती है; (iv) जीवन में असुविधा, कठिनाई, असुविधा, निराशा, हताशा और मानसिक तनाव।"

ग

डी.

26. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, दिया जाने वाला मुआवजा इस प्रकार हैः

I. दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा-रु। 2,00,000-II। जीवन की सुविधाओं के नुकसान के लिए मुआवजा-रु। 2,00,000-III। अक्षमता और विरूपण के लिए मुआवजा-रु। 2,00,000 -

ई.

निष्कर्ष

27. हमारी राय है कि दावेदारों को स्थायी विकलांगता के मामलों में मुआवजा देते समय, अदालतों को मामले को समग्रता से देखना चाहिए, और दावेदारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए।इसमें अपीलकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है।

च

28. यह लगभग सार्वभौमिक रूप से देखा गया है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों को अक्सर शारीरिक अक्षमताओं के कारण भेदभाव की एक अतिरिक्त परत का सामना करना पड़ता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों को पहले से ही सामाजिक पूंजी की कमी के कारण गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और एक नई विकलांगता अक्सर इस तरह के भेदभाव के लिए यौगिक नहीं होती है।ऐसी परिस्थितियों में, न्याय के सार को बनाए रखने के लिए, यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह कम से कम दावेदार को यथासंभव बहाल करे।

जी.

एच.

अक्षमता की घटना से पहले वह जिस पद पर था, उसके लिए संभव है और ऐसा करने के लिए उसे उदार तरीके से मुआवजा देना चाहिए।

29. जबकि कोई भी भौतिक मुआवजा घायल और उसके परिवार के सामने आने वाले आघात और पीड़ा को पूरी तरह से नकार नहीं सकता है, कानून ऐसे मामलों में केवल मौद्रिक मुआवजे की भाषा जानता है।इसके बाद यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह मौद्रिक मुआवजे के प्रावधानों को एक मनगढ़ंत रचना में परिवर्तित करे जो घायल और उसके परिवार को उनके नुकसान से निपटने में मदद करता है।

30. उपर्युक्त तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि दावेदार/अपीलार्थी को विभिन्न शीर्षों के तहत दिया जाने वाला न्यायसंगत मुआवजा निम्नानुसार होना चाहिएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

च

31. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय को ऊपर के रूप में संशोधित किया जा सकता है और दावेदार/अपीलार्थी को 5 लाख रुपये के मुआवजे का हकदार माना जाता है। 38,70,120-आवेदन करने की तारीख से प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज के साथ।32. तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी जाती है।

जी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.